रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 71

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 1987/माघ 24, 1908
No. 64] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 1987/MAGHA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1987

बीमा

का. आ. 80(अ)—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण), स्कीम, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 1987 है।

(2) यह 1 जनवरी, 1987 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

(3) यह ऐसे सभी विकास अधिकारियों को लागू होगी जो साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संशोधन स्कीम, 1987 कहा गया है) के प्रारम्भ की तारीख को, कंपनी के पूर्णकालिक नियोजन में हैं और जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् इस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं।

2. साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 3 में,—

(1) खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(1क) "अंकन वर्ष" से वह कलेंडर वर्ष अभिप्रेत है जिसके दौरान विकास अधिकारी के कार्य निष्पादन का अंकन किया जाता है और वह कार्य निष्पादन वर्ष के पश्चात् वाला कलेंडर मास होगा;';

(2) खंड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(2) "मूल वेतन" से इस स्कीम से उपाबद्ध अनुसूची क में दिए गए वेतनमान में विकास अधिकारियों को समय समय पर अनुज्ञेय वेतन अभिप्रेत है;';

(3) खंड (5) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(3) खंड (5) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(5) "कंपनी" से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इनश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या यूनाइटेड इंडिया इनश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अभिप्रेत है;';

(4) खंड (7) और (8) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् —

'(7) "खर्चे" से किसी विकास अधिकारी पर, कार्य निष्पादन वर्ष के दौरान, साधारण बीमा कारबार को उपाप्त करने के लिए उपगत खर्चे अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत, ऐसे विकास अधिकारी की सकल परलब्धियों के अतिरिक्त, उस वर्ष के दौरान विकास अधिकारी को संदत्त तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता, बाह्य (नान कोर) भत्ते, यात्रा और टेलीफोन पर व्यय, बोनस या अनुग्रहपूर्वक संदाय, साधारण बीमा कारबार उपाप्त करने के लिए किए गए दौरों पर यात्रा व्यय भी हैं, किंतु इसके अन्तर्गत भविष्य निधि में नियोजक का अभिदाय नहीं है;

(8) कार्य निष्पादन वर्ष की बाबत, "खर्च अनुपात" से विकास अधिकारी पर, उसके द्वारा उपाप्त अनुसूचित प्रीमियम आय में उपगत खर्च के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त अनुपात अभिप्रेत है;';

(5) खंड (9) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(9क) "विकास अधिकारी" से विकास कर्मचारीवृन्द के ऐसे सदस्य अभिप्रेत हैं जो संशोधन स्कीम, 1987 के प्रारम्भ से ठीक पूर्व, निरीक्षक ग्रेड I और निरीक्षक ग्रेड II के रूप में वर्गीकृत किए गए थे या नियुक्त किये गए थे और ऐसे प्रारम्भ पर क्रमशः विकास अधिकारी ग्रेड I और विकास अधिकारी ग्रेड II के रूप में पदाभिहित किए गए थे।';

(6) खंड II में,—

(i) "नए निबंधनों के अधीन देय" शब्द का लोप किया जाएगा;

(7) खंड (14) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(14) "परिचालन अधिशेष" से विकास अधिकारी द्वारा उपाप्त और प्रचालन अधिशेष अवधारित करने के प्रयोजन के लिए आय का, उसमें से निर्गम रकम काटने के पश्चात्, यदि कोई हो, अधिशेष अभिप्रेत है—

(क) आय में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(i) पूर्व कार्य निष्पादन वर्ष की अनुसूचित प्रीमियम आय के 50% की दर पर संगणित अनर्जित जोखिम के लिए आरक्षिती; और

(ii) कार्य निष्पादन वर्ष की अनुसूचित प्रीमियम आय; और

(ख) निर्गम रकम में सुसंगत कार्य निष्पादन वर्ष के लिए निम्नलिखित मदों के योग होंगे, :—

(i) उपगत दावे, जो वर्ष के दौरान संदत्त की गई दावों की रकम उस वर्ष के अंत में बकाया दावों की रकम में जोड़ कर और उसमें से पूर्व कार्य निष्पादन वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए उपबंध घटाकर संगणित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण— इस मद में,—

(क) किसी एकल दावे से उद्भूत एक लाख रुपये से अधिक का दावा एक लाख रुपए तक सीमित होगा;

(ख) उपगत दावों की संगणना करते समय अनुसूचित प्रीमियम आय से अपवर्जित किसी कारबार की बाबत दावों को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

(ii) प्रशासकीय व्ययों के लिए अनुसूचित प्रीमियम आय का 10%;

(iii) विकास अधिकारी पर उपगत खर्च;

(iv) अनुसूचित प्रीमियम आय पर संदत्त या संदेय कमीशन;

(v) अनुसूचित प्रीमियम आय के 50% की दर पर वर्ष के अंत में अनुवर्तित जोखिम की आरक्षिति।

(14क)" कार्य निष्पादन वर्ष" से वह कलेंडर वर्ष अभिप्रेत है जिसकी बाबत कार्य निष्पादन आंकन पर विचार किया जाता है,';

(8) खंड (15क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा :—

'(15ख) "पुनरीक्षित निबंधनों" से अनुसूची (क) में यथाविनिर्दिष्ट पुनरीक्षित वेतनमान और भत्ते अभिप्रेत हैं,

(15ग) "पुनरीक्षित वेतनमान" से अनुसूची (क) में विनिर्दिष्ट पुनरीक्षित वेतनमान अभिप्रेत है ;';

(9) खंड (17) में, स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) एक जनवरी, 1987 को प्रारम्भ होने वाले कार्य निष्पादन वर्ष में खर्च अनुपात के संबंध में, नीचे की सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट और उसके स्तम्भ 1 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विकास अधिकारी पर उपगत अनुपात है :—

सारणी

खर्च अनुपात

1	2	
निम्नलिखित स्थान पर प्रचालन विकास अधिकारी	पैरा 11 और 13 के संबंध में लागू	पैरा 11 और 13 से भिन्न पैराओं के संबंध में लागू
(क) ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक, है और पणजी और मारमागोवा का शहरी एकत्रीकरण	8%	7%
(ख) 5 लाख और उससे अधिक, किंतु 12 लाख से अनधिक जनसंख्या वाले नगर, 12 लाख से अनधिक जनसंख्या वाले राज्यों की राजधानियां और चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्टब्लेयर	9%	8%
(ग) अन्य केन्द्र	11%	10%

परन्तु यह कि—

(क) कार्य निष्पादन वर्ष 1987, 1988 और 1989 के लिए, क्रमशः 1.5%, 1.5% और 1% की छूट, सारणी में विनिर्दिष्ट खर्च अनुपात की अनुबंधित सीमाओं में अनुज्ञात की जाएगी।

(ख) विकास अधिकारी द्वारा, किसी अधिकर्ता के हस्तक्षेप के बिना सीधे अभिप्राप्त प्रीमियम के बारे में, खर्च 1% की छूट, पैरा 11 और 13 के उपबंधों के लागू करने के लिए अनुज्ञात की जाएगी।"

3. उक्त स्कीम के पैरा 7 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"7क. पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन का नियत किया जाना :—

(1) प्रत्येक विकास अधिकारी का, जिसे 31 दिसंबर, 1986 को नए निबंधनों के अधीन वेतनमान में रखा गया है, मूल वेतन अनुसूची ख में यथाविनिर्दिष्ट 1 जनवरी, 1987 से, सुसंगत पुनरीक्षित वेतनमान में, तत्स्थानी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक विकास अधिकारी का, जिसे 1 जनवरी 1987 को या उसके पश्चात् किन्तु संशोधन स्कीम, 1987 के राजपत्र में प्रकाशन से पूर्व नए निबंधनों के अधीन वेतनमान में रखा गया है, मूल वेतन, नए निबंधनों के अधीन वेतनमान में उसके रखे जाने की तारीख से अनुसूची "ख" में यथा विनिर्दिष्ट सुसंगत पुनरीक्षित वेतनमान में, तत्स्थानी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक विकास अधिकारी, जिसका मूल वेतन उप-पैरा (1) या उप-पैरा (2) के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में नियत किया गया है, पुनरीक्षित निबंधनों और नए निबंधनों के बीच सकल परिलब्धियों में अन्तर, अन्तरिम राहत और तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता (भविष्य निधि में विकास अधिकारी के अनिवार्य अभिदाय की कटौती करने के पश्चात्) 1 जनवरी, 1987 से प्रारंभ होने वाली अवधि या नए निबन्धनों के अधीन वेतनमान में उसके रखे जाने की तारीख से, जो भी पश्चात्-वर्ती हो, प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए संदत्त किया जाएगा ।

(4) प्रत्येक विकास अधिकारी का, जो 1 जनवरी, 1987 को परिवीक्षा पर है और जिसकी संशोधन स्कीम, 1987 के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात्, विकास अधिकारी ग्रेड I में पुष्टि की गई है, मूल वेतन उसकी पुष्टि की तारीख से, विकास अधिकारी ग्रेड I के न्यूनतम वेतनमान में नियत किया जाएगा ।

7ख. साम्यापूर्ण अनुतोष और उसका समायोजन :—

(1) प्रत्येक विकास अधिकारी की बाबत जिसका खर्च अनुपात, वर्ष 1983, 1984 और 1985 के लिए उक्त स्कीम के अधीन अनुबंधित सीमाओं के भीतर था, अनुसूची ख के अनुसार मूल वेतन 1 जनवरी 1984 को या नये निबन्धनों के अधीन वेतनमान में रखे जाने की तारीख से, उनमें से जो भी पश्चात्-वर्ती हो, उप पैरा (4) में यथा उपबंधित साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में वर्ष 1984, 1985 और 1986 के लिए संदत्त किया जाएगा ।

(2) विकास अधिकारी की बाबत, जिसका खर्च अनुपात वर्ष 1983, 1984, 1985 में से किन्हीं दो वर्षों के लिए उक्त स्कीम के अधीन अनुबंधित सीमाओं के भीतर था, मूल वेतन अनुसूची ख के अनुसार 1 जनवरी, 1985 को या नये निबन्धनों के अधीन वेतनमान में रखे जाने की तारीख को इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, नियत किया जाएगा और उसे वर्ष 1985 और 1986 के लिए उप-पैरा (4) में यथा उपबन्धित साम्यापूर्ण अनुतोष संदत्त किया जाएगा ।

(3) विकास अधिकारी की बाबत जिसका खर्च अनुपात वर्ष 1983, 1984 और 1985 में से किसी एक वर्ष के लिए उक्त स्कीम के अधीन अनुबंधित सीमाओं के भीतर था, मूल वेतन अनुसूची ख के अनुसार एक जनवरी, 1986 को या नये निबन्धनों के अधीन वेतनमान में रखे जाने की तारीख को, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, नियत किया जाएगा और उसे वर्ष 1986 के लिए उप पैरा (4) में यथा उपबन्धित साम्यापूर्ण अनुतोष संदत्त किया जाएगा ।

(4) इस पैरा के अधीन साम्यापूर्ण अनुतोष के संदाय का ढंग और रीति वह होगी जो निगम के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जाए :

परन्तु ऐसे विकास अधिकारियों की दशा में जिनका खर्च अनुपात एक या अधिक वर्षों में, अर्थात् 1983, 1984, 1985 या 1986 में अनुबंधित सीमाओं से अधिक हो जाता है, क्रमिक आगामी वर्षों में ऐसे विकास अधिकारियों को संदत्त बाह्य भत्ता, उक्त स्कीम के पैरा 11 के उप पैरा (2) में उपबन्धित रूप में काट लिया जाएगा और उप पैरा (1), (2) या (3) में यथा उपबन्धित फर्नीचर (फिटमेंट) और साम्यापूर्ण अनुतोष यदि कोई हो, तभी लागू किया जाएगा जब बाह्य भत्ते की ऐसी कटौती, जैसा आवश्यक हो, प्रभावी कर दी जाती है :

परन्तु यह और भी कि ऐसे विकास अधिकारियों की दशा में जिन्हें कोई साम्यापूर्ण अनुतोष संदेय नहीं है या जहां संदेय साम्यापूर्ण अनुतोष कटौती की रकम से कम है, वहां सम्बद्ध विकास अधिकारी को संदेय परिलब्धियों में से, 1 जनवरी, 1987 के पश्चात् ऐसी रीति से वसूल की जाएगी जैसी निगम के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "साम्यापूर्ण अनुतोष" से नये निबन्धनों और पुनरीक्षित निबन्धनों के अधीन सकल परिलब्धियां, अन्तरिम राहत और भविष्य निधि के संकलन के बीच का अन्तर अभिप्रेत है ।

(4) विकास अधिकारी को अनुदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से उसके खर्चे में जोड़ दिया जाएगा और उसका खर्च अनुपात तदनुसार संगणित किया जाएगा :—

(क) पहले वर्ष के पात्र साम्यापूर्ण अनुतोष का 50% खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा ।

(ख) पहले वर्ष के पात्र साम्यापूर्ण अनुतोष धन दूसरे वर्ष के पात्र साम्यापूर्ण अनुतोष का 50% कार्य निष्पादन वर्ष 1987 के खर्च में जोड़ा जाएगा ।

(ग) दूसरे वर्ष के पात्र साम्यापूर्ण अनुतोष का 65% कार्य निष्पादन वर्ष 1988 के खर्च में जोड़ा जाएगा ।

(घ) दूसरे के पात्र साम्यापूर्ण अनुतोष का 25% और तीसरे वर्ष के पात्र साम्यापूर्ण अनुतोष का 40% कार्य निष्पादन वर्ष 1989 के खर्च में जोड़ा जाएगा ।

(ङ) तीसरे वर्ष के पात्र साम्यापूर्ण का 60% कार्य निष्पादन वर्ष 1990 के खर्च में जोड़ा जाएगा ।

स्पष्टीकरण :

इस उपपैरा के प्रयोजन के लिए "पात्रता वर्ष" से 1984, 1985 या 1986 वर्ष अभिप्रेत होगा, जिसके लिए साम्यापूर्ण अनुतोष अनुज्ञेय है और जहां 1984, 1985 और 1986 के सभी वर्षों के लिए साम्यापूर्ण अनुतोष का संदाय किया गया है वहां पहला, दूसरा और तीसरा पात्र वर्ष क्रमशः 1984, 1985 और 1986 होंगे । जहां साम्यापूर्ण अनुतोष का संदाय केवल वर्ष 1985 और 1986 के लिए किया गया है, वहां पात्र पहला और दूसरा वर्ष क्रमशः 1985 और 1986 होगा । जहां साम्यापूर्ण अनुतोष का संदाय केवल एक वर्ष, अर्थात् 1986 के लिए किया गया है, वहां इसे पहला पात्र वर्ष समझा जाएगा ।

7ग. शोध्यों का संदाय—ऐसे विकास अधिकारी जो 1 जनवरी, 1984 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, जो वर्ग 1 अधिकारी के रूप में प्रोन्नत हो गए हैं या जो लिपिकीय कर्मचारिवृन्द के रूप में संपरिवर्तित हो गए है, यथास्थिति उनकी सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्यागपत्र, प्रोन्नति या संपरिवर्तन की तारीख तक उपलब्धियों का अन्तर, साम्यापूर्ण अनुतोष और उपदान का अन्तर, यदि कोई हो, पैरा 7-क और 7ख के अनुसार संदाय किया जाएगा :

परन्तु उपलब्धियों के शोध्यों और साम्यापूर्ण अनुतोष का संदाय बाह्य भत्ते के, यदि कोई हो, आधिक्य की वसूली के अधीन रहते हुए किया जाएगा ।

4. उक्त स्कीम के पैरा 11 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"11. खर्च नियंत्रण—

(1) प्रत्येक विकास अधिकारी ऐसे खर्च से कार्य करेगा जिससे कि वह पैरा 3 के खंड (17) के उपखंड (ग) में अनुबंधित सीमाओं के भीतर अपना खर्च अनुपात बनाए रख सके ।

(2) यदि किसी विशिष्ट कार्य निष्पादन वर्ष की बाबत किसी विकास अधिकारी के संबंध में खर्च अनुपात अनुबंधित सीमाओं से अधिक हो जाता है, तो आगामी कार्य निष्पादन वर्ष में उसको संदेय बाह्य भत्ता उस रकम तक कम कर दिया जाएगा, जिस तक उसका खर्च अनुपात अनुबंधित सीमाओं से अधिक हो गया है ।

(3) यदि किसी विकास अधिकारी की बाबत, खर्च अनुपात लगातार दूसरे कार्य निष्पादन वर्ष के लिए अनुबंधित सीमा से अधिक हो जाता है तो उसे चेतावनी का पत्र जारी किया जाएगा कि यदि उसका खर्च अनुपात लगातार तीसरे या पश्चात्वर्ती कार्य निष्पादन वर्षों के लिए अनुबंधित सीमाओं से अधिक हो जाता है तो उसका (नान-कोर) बाह्य भत्ता उस विस्तार तक आगामी वर्षों में कम किया जाता रहेगा जो उसके खर्च अनुपात को अनुबंधित सीमाओं के भीतर लाने के लिए आवश्यक होगा और यदि कोई बाह्य भत्ता कम किए जाने के लिए नहीं है तो वह मूल वेतन में कमी के लिए दायी होगा, जैसाकि उप-पैरा (4) के नीचे सारणी में उपदर्शित है।

(4) यदि किसी विकास अधिकारी की बाबत खर्च अनुपात लगातार तीसरे या पश्चातवर्ती कार्य निष्पादन वर्षों के लिए अनुबंधित सीमाओं से अधिक हो जाता है, तो उसको आगामी कार्य निष्पादन वर्ष में संदेय (नान-कोर) बाह्य भत्ता, यदि कोई हो, उस रकम तक कम कर दिया जाएगा, जिस तक उसका खर्च अनुपात अनुबंधित सीमाओं से अधिक हो गया है ।

परन्तु यदि उसको कोई (नान-कोर) बाह्य भत्ता संदेय नहीं है या ऐसे तीसरे या पश्चातवर्ती लगातार कार्य निष्पादन वर्षों के आगामी वर्ष में उसको संदेय बाह्य भत्ते की रकम अधिक खर्च से कम है, तो कमियों को खर्च की अनुबंधित सीमाओं के अनुरूप करने के लिए ऐसे विकास अधिकारी को अवसर देने के लिए सुसंगत अंकन वर्ष की पहली जनवरी से नीचे दी गई सारणी के अनुसार प्रभावी किया जाएगा ।

सारणी

मूल वेतन में कमी करना, जहां खर्च अनुपात सुसंगत कार्य निष्पादन वर्ष में अनुबंधित सीमाओं से अधिक है ।

क्रम सं.	अनुबंधित सीमाओं के ऊपर वास्तविक लागत अनुपात	पहले अवसर पर	लगातार दूसरे अवसर पर	लगातार तीसरे अवसर पर	लगातार चौथे अवसर पर	लगातार 5वें और पश्चात्वर्ती अवसर पर
सुसंगत अंकन वर्ष की पहली जनवरी से प्रभावी की जाने वाली कमियों की संख्या						
1.	1% से अधिक नहीं	1	1	1	1	1
2.	1% से थोड़ा अधिक किन्तु 3% से अधिक नहीं	1	1	2	2	2
3.	3% से थोड़ा अधिक किन्तु 5% से अधिक नहीं	2	2	3	3	1
4.	5% से थोड़ा अधिक	2	3	3	4	4

टिप्पण 1. यदि कोई विकास अधिकारी, विकास अधिकारी ग्रेड–I के वेतनमान में है, और ऊपर यथा उपबन्धित कटौती द्वारा उस का मूल वेतन, वेतनमान के न्यूनतम से कम हो जाता है, तो उस का मूल वेतन, विकास अधिकारी ग्रेड II के वेतनमान के अधिकतम से एक प्रक्रम पर, नियत किया जाएगा । यदि उक्त विकास अधिकारी, विकास अधिकारी ग्रेड II के वेतनमान में रखे जाने के पश्चात भी अनुबंधित खर्च सीमाओं के परे कार्य करना जारी रखता है, तो मूल वेतन में कटौती, उतने प्रक्रमों की संख्या तक, जो सुसंगत उत्तरवर्ती अवसर को लागू है, विकास अधिकारी ग्रेड–II में वेतनमान में आरम्भ होगी ।

टिप्पण 2. यदि ऐसी कटौती के पश्चात् मूल वेतन विकास अधिकारी ग्रेड II के वेतनमान के न्यूनतम से कम हो जाता है, तो ऐसे विकास अधिकारी का मूल वेतन, विकास अधिकारी ग्रेड II के वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा ।

(5) उस विकास अधिकारी को जिसका मूल वेतन उप पैरा (4) के अधीन कटौती के पश्चात् विकास अधिकारी ग्रेड II के वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया गया है, अनुबंधित खर्च सीमाओं के अनुरूप करने के लिए एक वर्ष का अवसर दिया जाएगा और चेतावनी दी जाएगी कि उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं, यदि वह अब भी अनुबंधित खर्च सीमाओं से बढ़ना जारी रखता है ।

(6) यदि विकास अधिकारी, विकास अधिकारी ग्रेड–II के वेतनमान के न्यूनतम मूल वेतन से कम के और उपपैरा (5) के अधीन एक वर्ष का अवसर देने के पश्चात् भी अनुबंधित खर्च सीमाओं के परे बना रहना जारी रखता है तो उसकी सेवाएं उसको 30 दिन की सूचना देने के पश्चात् किसी अधिकारी द्वारा जो महाप्रबंधक महाप्रबन्धक के पंक्ति से नीचे का न हो, समाप्त की जाएगी :

परन्तु किसी भी विकास अधिकारी की सेवाएं तब तक समाप्त नहीं की जाएंगी, जब तक कि उसे सेवा समाप्त करने वाली सूचना की तामील करने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर उप पैरा (7) अधीन इस प्रयोजन के लिए गठित अपील समिति को अपील करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है और जब तक उक्त अपील समिति उक्त अपील पर विचार नहीं कर लेती है और उसे पुष्ट नहीं करती है कि संबंधित विकास अधिकारी की सेवाएं समाप्त किए जाने के दायित्वाधीन है ।

परन्तु और भी कि संबंधित विकास अधिकारी की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी, यदि अपील समिति उस की अपील पर विचार करने के पश्चात् विनिश्चय करती है कि उसको कुछ अनुतोष दिया जाना चाहिए ।

(7) उप पैरा (6) में निर्दिष्ट अपील समिति इस पैरा के अधीन सेवा की समाप्ति के लिए दायी विकास अधिकारी को अनुतोष देने के लिए समय-समय पर निगम के अध्यक्ष द्वारा गठित की जाएगी और उक्त समिति सुसंगत कारणों को जैसे कि प्रीमियम खर्च, खर्च अनुपात की संगणना में वास्तविक अशुद्धताओं, रुग्णता, दुर्घटना या ऐसी व्यक्तिगत परिशमनकारी परिस्थितियां, जो विकास अधिकारी के नियंत्रण के परे हों, और जो कारबार उपापन को प्रतिकूलतः प्रभावित करती हों, ध्यान में रखते हुए, अपील पर विचार करेगी और उप पैरा (8) में उपबंधित उन अनुतोष से भिन्न उतने अनुतोष का उपबन्ध करेगी जो प्रत्येक मामले में आवश्यक समझा जाए ।

(8) कोई भी विकास अधिकारी जिसकी सेवाएं इस पैरा के अधीन समाप्त की जा सकती हैं, उसके विनिर्दिष्ट अनुरोध पर, ऐसे निबन्धनों पर, जो निगम के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किए जाएं लिपिकीय कर्मचारिवृन्द के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, यदि वह पात्र है और उपयुक्त समझा जाता है और इस शर्त के अधीन रहते हुए कि–

(i) वह कम से कम 45 वर्ष का है किन्तु उसने 55 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और उसने विकास अधिकारी के रूप में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की है, या

(ii) व्यक्तिगत परिशमनकारी परिस्थितियों के, जैसे कि रूग्णता, क्षति या निःशक्तता के आधार है।

(9) जहां किसी विकास अधिकारी के बाह्य (नानकोर) भत्ते की कटौती उप पैरा (2) या उप पैरा (3) के अधीन की जाती है या उप पैरा (4) के अधीन कमी प्रभावी की जाती है या उप पैरा (6) के अधीन उसकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं वहां ऐसे बाह्य (नानकोर) भत्ते की कटौती या कमियां या सेवाओं की समाप्ति, शास्ति नहीं समझी जाएगी।

5. उक्त स्कीम के पैरा 12 में,-

(1) उप पैरा (i) में खंड (10) का लोप किया जाएगा,

(2) उप पैरा (i) के पश्चात निम्नलिखित उप पैरा अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

(1क) निगम का अध्यक्ष समय समय पर कुछ बीमा की अज्ञात या अविकसित किस्मों का विकास करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उप पैरा (i) में सूचीबद्ध कारबार की किस्मों में परिवर्तन या संशोधन कर सकेगा। निगम का अध्यक्ष ग्रामीण या किन्हीं अन्य विनिर्दिष्ट बीमों के वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन की स्कीम के लिए भी उपबन्ध कर सकेगा, यदि आवश्यक समझा जाए और उस रीति में जो उसके द्वारा विनिश्चित की जाए।"

6. उक्त स्कीम के पैरा 13 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात :-

"13. वेतन वृद्धि - वह विकास अधिकारी जिसका सुसंगत कार्य निष्पादन वर्ष के लिए खर्च अनुपात पैरा 3 के खंड (17) के उपखंड (ग) में अनुबंधित सीमाओं से अधिक नहीं है, सुसंगत अंकन वर्ष की पहली जनवरी को सुसंगत पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धि अर्जित करेगा, परन्तु यह तब जब उसने उक्त अंकन वर्ष की जनवरी के मास में वेतनमान में, 12 मास की सेवा पूरी कर ली हो :

परन्तु उस विकास अधिकारी के मामले में, जिसका सुसंगत कार्य निष्पादन वर्ष के लिये खर्च अनुपात अनुबंधित सीमाओं से अधिक हो जाता है, वेतन वृद्धि दिये जाने के लिये, अनुसूचित प्रीमियम आय के संकलन पर और सुसंगत कार्य निष्पादन वर्ष तथा ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिये संकलित लागत पर संगणित औसत खर्च अनुपात के आधार पर, विचार किया जा सकता है।

7. उक्त स्कीम के पैरा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जायेगा, अर्थात् :—

"14 लागत पर आधारित वृद्धि प्रोत्साहन.—उस विकास अधिकारी को जिसका किसी कार्य संपादन वर्ष के लिये खर्च अनुपात पैरा 3 के खंड (17) के उपखंड (ग) में अनुबंधित लागत सीमा से अधिक नहीं है और उसने उक्त कार्य निष्पादन वर्ष के दौरान कम से कम 3,00,000 रुपये की अनुसूचित प्रीमियम आय उपाप्त की है और उक्त कार्य निष्पादन वर्ष के दौरान पूर्व कार्य निष्पादन वर्ष में अनुसूचित प्रीमियम आय में 60,000 रुपये की न्यूनतम वृद्धि की है,

अंकन वर्ष 1988 में पूर्ववर्ती कार्य निष्पादन वर्ष की अनुसूचित आय के उस पर कार्य निष्पादन वर्ष के दौरान अनुसूचित प्रीमियम आय के वृद्धि को गुणा करके पूर्वनिर्धारित रकम के बराबर लागत-आधारित वृद्धि प्रोत्साहन का संदाय, अनुबंधित खर्च अनुपात और उस विकास अधिकारी के वास्तविक खर्च के अनुपात के बीच अन्तर का संदाय किया जायेगा।

परन्तु यह कि अनुबंधित लागत के अनुपात और वास्तविक लागत के अनुपात के बीच अधिकतम अंतर की लागत पर आधारित प्रोत्साहन वृद्धि की संगणना करने के लिये लिया जाये जो 5% से अधिक नहीं होगा।

परन्तु यह और कि लागत पर आधारित वृद्धि प्रोत्साहन की रकम संबंधित विकास अधिकारी द्वारा सुसंगत कार्य निष्पादन वर्ष के दौरान लिये गये बारह मास के मूल वेतन से अधिक नहीं होगी।"

8. उक्त स्कीम के पैरा 15 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जायेगा, अर्थात् :—

"15. लाभ प्रोत्साहन—ऐसा कोई विकास अधिकारी जिसका सुसंगत कार्य निष्पादन वर्ष के लिये लागत अनुपात पैरा 3 के खंड (17) के उपखंड (ग) में अनुबंधित सीमा के भीतर है और उक्त कार्य निष्पादन वर्ष के लिये जिसकी अनुसूचित प्रीमियम आय, गत कार्य निष्पादन वर्ष से कम नहीं है, नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर लाभ प्रोत्साहन अनुदत्त किये जाने के लिये विचार किये जाने का पात्र होगा।

सारणी

प्रचालन अधिशेष	लाभ प्रोत्साहन के रूप में अनुदत्त किये जाने वाले प्रचालन अधिशेष की प्रतिशतता
20 प्रतिशत से कम	शून्य
20 प्रतिशत या उससे अधिक किंतु 22.5 प्रतिशत से कम	1.25 प्रतिशत
22.5 प्रतिशत या उससे अधिक किंतु 26 प्रतिशत से कम	2.5 प्रतिशत
26 प्रतिशत या उससे अधिक किंतु 27 प्रतिशत से कम	3.5 प्रतिशत
27 प्रतिशत या उससे अधिक किंतु 28 प्रतिशत से कम	4.5 प्रतिशत
28 प्रतिशत या उससे अधिक किंतु 29 प्रतिशत से कम	5.5 प्रतिशत
29 प्रतिशत या उससे अधिक किंतु 30 प्रतिशत से कम	6.5 प्रतिशत
30 प्रतिशत या उससे अधिक किंतु 31 प्रतिशत से कम	7.5 प्रतिशत

परन्तु यह कि इस पैरा के अधीन लाभ प्रोत्साहन किसी विकास अधिकारी को अंकन वर्ष 1988 से संदेय होगा और वह उसके द्वारा सुसंगत कार्य निष्पादन वर्ष के दौरान लिये गये वार्षिक मूल वेतन से अधिक नहीं होगा और उसकी लागत, जिसके अन्तर्गत लाभ प्रोत्साहन और लागत पर आधारित वृद्धि प्रोत्साहन यदि कोई हो, भी है, पैरा 3 के खंड (17) के उपखंड (ग) में अनुबंधित सीमा के भीतर है।"

9. उक्त स्कीम के पैरा 16 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जायेगा, अर्थात् :—

"16 भविष्य निधि—प्रत्येक विकास अधिकारी, भविष्य निधि में अपने मूल वेतन के 8-1/3 प्रतिशत की दर से अभिदाय करेगा और यथास्थिति, निगम या कंपनी भी समान अभिदाय करेगा।"

10. उक्त स्कीम के पैरा 17 में, उपपैरा (1) के खंड (ख) के पश्चात् किंतु परंतुक से पहले, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(खख) उपदान की अनुज्ञेयता के लिये अर्हक सेवा से संबंधित खंड (क) और खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक विकास कर्मचारिवृन्द को जिसने निगम या कंपनी या दोनों में 15 वर्ष से अन्यून निरंतर सेवा की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या उसके छह मास से अधिक के भाग के लिये, 30 वर्ष की सेवा तक अधिकतम 15 मास के अधीन रहते हुए एक मास के मूल वेतन की दर पर

उपदान संदेय होगा और 30 वर्ष से अधिक की सेवा के लिये सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह मास से अधिक के उसके भाग के लिये, आधे मास के मूल वेतन की दर पर अतिरिक्त उपदान संदेय होगा।

परन्तु यह कि विकास कर्मचारिवृन्द को संदेय उपदान की रकम, यथा ऊपर अवधारित या उपदान संदाय अधिनियम 1972 (1972 का 39) के अधीन संगणित जो भी उससे अधिक फायदेमंद हो, होगी

परन्तु ऐसा विकास अधिकारी जो संशोधन स्कीम, 1987 के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् नियुक्त किया गया है, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपदान के संदाय के लिये केवल तभी पात्र होगा जब उसने कम से कम 15 वर्ष से अन्यून की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, जब तक कि उसकी सेवा की समाप्ति मृत्यु या निःशक्तता के कारण न हुई हो।

11. उक्त स्कीम के पैरा 19 में, उपखंड (छ) को पद (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(iii) जोखिम दायित्व पत्र, कच्ची रसीदें, प्रमाण-पत्र-सह-पालिसियां और निगम या कंपनी द्वारा, समय समय पर, यथा निर्देशित रीति से और वर्गों में निर्मित जारी करना और, अवधि अवधान रजिस्टर, अभिकरण अभिलेख, कार्य-रिपोर्ट और उसी प्रकार के अभिलेखों को बनाये रखना।

12. उक्त स्कीम के पैरा 21 का लोप किया जायेगा।

13. उक्त स्कीम के पैरा 22 में, "निगम" शब्द के स्थान पर "निगम का अध्यक्ष" शब्द रखे जायेंगे।

14. उक्त स्कीम में अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"अनुसूची—क

(पैरा 3, 7क, 11, 13, 14, 15, 16 और 17 देखिए)

1. वेतनमान (मूल वेतन)

(1) विकास अधिकारी ग्रेड-I 720-60-1080-70-1500-80-2380 रु.

(2) विकास अधिकारी ग्रेड-II 550-30-730 रु.

II. महंगाई भत्ता

महंगाई भत्ता, औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100) से संबद्ध होगा और वह निम्नलिखित लाइनों पर केवल तभी संदेय होगा जब औद्योगिक कर्मकारों के लिए औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उ. मू. सू. 332 से ऊपर हो जाता है, अर्थात् :—

(i) महंगाई भत्ते के संदाय के प्रयोजन के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 24 बिन्दु की वृद्धि या कमी है एक चक्र होगा। प्रत्येक चक्र में दो प्रक्रम होंगे अर्थात् पहला प्रक्रम 8 अंक वृद्धि और दूसरा प्रक्रम 16 अंक वृद्धि पर।

(ii) ऐसे विकास अधिकारी जो 1600 रु. तक मूल वेतन ले रहे हैं, महंगाई भत्ते में, पहले प्रक्रम अर्थात् :—अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) के तिमाही औसत में 332 से ऊपर 8 बिन्दु की वृद्धि और कमी के लिए तिमाही समायोजन प्राप्त करने का पात्र होगा।

(iii) ऐसे विकास अधिकारी जो 1600 रु. प्रतिमास से अधिक मूल वेतन ले रहे हैं पहला समायोजन केवल दूसरे प्रक्रम पर होगा, अर्थात् : 16 अंकों के प्रत्येक ब्लाक के लिए (जब तिमाही सूचकांक 348 के स्तर पर पहुंचता है) और पश्चातवर्ती समायोजन 8 अंक के अगले ब्लाक के लिए होगा (जब औसत सूचकांक 356 पर पहुंचता है)। तत्पश्चात समायोजन के चक्र की पुनरावृत्ति की जाएगी।

(iv) समायोजन की दर सूचकांक के औसत तिमाही में प्रत्येक 8 अंक के परिवर्तन के लिए मूल वेतन का 2 प्रतिशत (उपर्युक्त (iii) में कथित के अधीन रहते हुए 31.60 रु. की सीमा के अधीन रहते हुए होगा।

(v) मामूली समायोजन जहां कहीं आवश्यक हो यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि, उच्चतर स्तर पर संदेय महंगाई भत्ते की रकम निम्नतर स्तर पर संदेय महंगाई भत्ते की रकम से कम नहीं है।

(vi) इस प्रयोजन के लिए, तिमाही से तीन मास की ऐसी अवधि अभिप्रेत होगी, जो मार्च, जून, सितम्बर, या दिसम्बर के अंतिम दिन समाप्त होगी।

(vii) भारतीय श्रम पत्रिका या भारत के राजपत्र जो भी प्रकाशन पूर्वतर उपलब्ध हो, में यथा प्रकाशित अंतिम सूचकांक आंकड़े ऐसे सूचकांक आंकड़े होंगे जो महंगाई भत्ते के संगणन के प्रयोजन के लिए हिसाब से लिए जाएंगे।

(viii) किसी विशिष्ट तिमाही के लिए औसत सूचकांक में परिवर्तनों के तत्समान मंगाई भत्ते का पुनरीक्षण उस तिमाही की समाप्ति केवल दूसरे उत्तरवर्ती मास से प्रभावी होगी।

टिप्पणी :—संदेह के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि महंगाई भत्ते में पुनरीक्षण, यदि कोई हो क्रमशः दिसम्बर, मार्च, जून और सितम्बर, से पहले समाप्त होने वाली तिमाही के लिए औसत सूचकांक के अनुसार 1 फरवरी 1 मई, 1 अगस्त, और 1 नवम्बर, से प्रभावी होगा।

III. मकान किराया भत्ता :

ऐसे विकास अधिकारियों का, जो 2000 रु. तक मूल वेतन ले रहे वेतन का 15 प्रतिशत और 2000 रु. से अधिक का 10 प्रतिशत अधिकतम 325 रु. प्रतिमास के अधीन रहते हुए मकान किराया भत्ता संदेय होगा। परन्तु यह कि ऐसे विकास अधिकारी जिन्हें निगम या कम्पनी द्वारा वास-सुविधा आबंटित की गई है, किसी प्रकार के मकान किराया भत्ता के हकदार नहीं होंगे और उनको आबंटित वास-सुविधा के उपयोग के लिए, वे मूल वेतन के 10 प्रतिशत के समतुल्य रकम या अनुसूचित फीस का, जो भी कम हो, संदाय करेंगे।

IV. नगर प्रतिकर भत्ता

(i) नगर प्रतिकर भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा :—

तैनाती का स्थान	दर	प्रतिमास न्यूनतम रु.	रकम अधिकतम रु.
(क) 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले और पणजी तथा मारमागोवा का शहरी एकीकरण	मूल वेतन का 10%	75 रु.	150 रु.
(ख) 5 लाख और उससे अधिक किन्तु 12 लाख से अनाधिक जनसंख्या वाले नगर, 12 लाख से अनधिक जनसंख्या वाले राज्यों की राजधानियों और चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्टब्लेयर	मूल वेतन का 5%	50 रु.	100 रु.

टिप्पण :—इस पद के प्रयोजन के लिए जनसंख्या संबंधी आंकड़े वे होंगे जो 1981 की जगणना रिपोर्ट में दिए गए हैं।

(2) खण्ड (i) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा विकास अधिकारी जो तारीख 31-12-1986 को 20 रु. प्रतिमास नगर प्रतिकर भत्ते के रूप में प्राप्त कर रहा है और संशोधन स्कीम, 1987 के अधीन नगर प्रतिकर भत्ते का पात्र नहीं रहा है, उक्त रकम तब तक प्राप्त करता रहेगा जब तक वह उसी स्थान पर तैनात रहता है।

V. पर्वतीय स्थान भत्ता :—

विकास अधिकारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ते के मापमान निम्नलिखित होंगे :—

(1)	(2)
(i) औसत समुद्र तल से 1500 मीटर तथा उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थान पर तैनात	मूल वेतन के दस प्रतिशत की दर से किंतु अधिकतम 100 रु. के अधीन रहते हुए।
(ii) मरकरा और ऐसे स्थानों पर, जिन्हें केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से "पर्वतीय स्थान" घोषित किया है में औसत समुद्र तल से 1000 मीटर और उससे अधिक किन्तु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात।	मूल वेतन के 8 प्रतिशत की दर से किंतु अधिकतम 75 रुपये प्रतिमास के अधीन रहते हुए।

VI. तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ते :

ऐसा विकास अधिकारी जिसकी पुष्टि की जा चुकी है और जो नीचे उल्लिखित किसी परीक्षा में अर्हित होता है या जिसने अर्हता प्राप्त की है, को परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से या पुष्टि की तारीख से या 1-1-1987 से जो, जो भी तारीख बाद में हो, नीचे उल्लिखित तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता दिया जाएगा :—

परीक्षा	अर्हता भत्ता प्रतिमास
(1)	(2)
बीमा संस्थानों का परिसंघ या चार्टर्ड बीमा संस्थान	
(i) लाइसेंसिएट	40 रुपए
(ii) एसोसिएटशिप पूरा करने वाला	50 रुपए
(iii) फैलोशिप पूरी करने पर	130 रुपए
बीमांकक संस्थान लंदन	
(i) कोई तीन विषय	100 रुपए
(ii) कोई छः विषय	130 रुपए
चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान :—	
(i) इंटरमिडिएट पूरा करने पर	80 रुपए
(ii) अंतिम ग्रुप 'क'	100 रुपए
(iii) अंतिम ग्रुप 'ख'	130 रुपए

परन्तु यह कि, एक से अधिक अर्हक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता दिए जाने से संबंधित विकास अधिकारी की ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां विकास अधिकारी को उक्त किसी परीक्षा में अर्हित होने के लिए पहले ही कोई अग्रिम वेतन-वृद्धि या कोई अन्य भावी आर्थिक फायदा दिया गया है, वहां पहले से प्राप्त फायदे की मात्रा पर निर्भर करते हुए अर्हता भत्ते की रकम में, यथोचित रूप से कमी कर दी जाएगी या वह अनुज्ञेय नहीं होगा।

अनुसूची 'ख'

(पैरा 7-क और 7-ख देखिए)

मूल वेतन के नियतन के लिए तत्स्थानी प्रक्रमों का चार्ट

विकास अधिकारी ग्रेड—I		विकास अधिकारी ग्रेड—II	
विद्यमान मूल वेतन (रुपए)	पुनरीक्षित मूल वेतन (रुपए)	विद्यमान मूल वेतन (रुपए)	पुनरीक्षित मूल वेतन (रुपए)
1	2	3	
250	720	175	550
265	780	185	580
280	840	195	610
295	900	205	640
315	960	215	670
335	1020	225	700
355	1080	240	730
375	1150		
400	1220		
425	1290		
450	1360		
475	1430		
500	1500		
525	1580		
555	1660		
585	1740		
615	1820		
645	1900		
675	1980		
710	2060		
745	2140		
780	2220		
815	2300		
850	2380		

[फाइल सं. 114(2)/बीमा-IV/87]

ए. के. पांड्या, अपर सचिव (इंश्योरेंस)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 1987

INSURANCE

S.O. 80(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976, namely :

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 1987.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1987.

(3) It shall apply to all Development Officers who are in the whole time employment of the Company on the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 1987 (hereinafter referred to as the Amendment Scheme, 1987) and who are appointed as such after such commencement.

2. In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 3 :—

(1) after clause (1) the following clause shall be inserted namely :—

'(1A) "appraisal year" means the calender year during which performance appraisal of Development Officer is done and shall be the calender year following the performance year ;'

(2) for clause (2), the following calse shall be substituted, namely :—

'(2) "basic pay" means the pay admissible from time to time to the Development Officers in the scale of pay set out in the Schedule A appended to this Scheme ;'

(3) for clause (5), the following clause shall be substituted, namely :—

'(5) "Company" means the National Insurance Company Limited, the New India Assurance Co. Ltd., the Oriental Insurance Company Limited or the United India Insurance Company Limited;'

(4) for clauses (7) and (8) the following Clauses shall be substituted, namely :—

'(7) "cost" means the cost incurred on a Development Officer for procuring general insurance business during a performance year and includes, in addition to the gross emoluments of such Development Officer, allowance for technical qualifications, non-core allowances, expenses on vehicle and telephone, bonus or ex-gratia payment, travelling expenses on tours undertaken for procuring general insurance business, paid to the Development Officer during that year but does not include employer's contribution to Provident Fund;'

'(8) "cost ratio" in respect of a performance year means the ratio expressed as percentage of the cost incurred on a Development Officer to the scheduled premium income procured through him;'

(5) after clause (9), the following clause shall be inserted, namely—

'(9A) "Development Officer" means members of the Development Staff, who immediately before the commencement of the Amendment Scheme, 1987 were categorised or appointed as Inspector Grade-I and Inspector Grade-II and on such commencement designated, respectively, as Development Officer Grade-I and Development Officer Grade-II."

(6) in clause (11)—

(i) the words "payable under the new terms" shall be ommitted ;

(7) for clause (14), the following clause shall be substituted, namely—

'(14)"operating surplus" means the surplus, if any, after deducting the outgo from the income procured through the Development Officer and for the purpose of determining operating surplus—

(a) income shall consist of—

(i) in reserve for unexpired risk calculated at the rate of 50 per cent of the scheduled premium income of the previous performance year ; and

(ii) the scheduled premium income of the performance year ; and

(b) the out-go shall consist of the aggregate of the following items for the relevant performance year,—

(i) incurred claims, calculated by adding the amount of claims paid during the year, to the amount of claims outstanding at the end of the year and deducting therefrom the provision of claims outstanding at the end of the previous performance year,'

Explanation :—In this item,—

(a) Claim in excess of one lakh of rupees arising from any single claim shall be limited to one lakh of rupees ;

(b) Claims in respect of any busjness excluded from the scheduled premium income shall not be taken into account while calculating incurred claims.

(ii) ten per cent of the scheduled premium income towards administrative expenses ;

(iii) cost incurred on Development Officer ;

(iv) the commission paid or payable on the scheduled prmium income.

(v) reserve for unexpired risk at the end of the year at the rate of 50 per cent of the scheduled premium income.

(14A) "performance year" means the calender year in respect of which the performance appraisal is considered ;

(8) after clause (15A), the following clauses shall be inserted, namely :—

'(15-B) "revised terms" means the revised scales of pay and allowances as specified in Schedule A ;'

'(15C) "revised scales of pay" means the revised scales of pay specified in Schedule A ;'

(9) in clause (17), after the Explanation, the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(c) in relation to cost ratio from the performance year commencing on the 1st January, 1987, the ratio specified in column (2) of the Table below and incurred on a Development Officer specified in the corresponding entry in column (1) thereof :—

TABLE

(1)	Cost Ratio (2)	
Development Officer Operating at	Applicable in relation to paragraphs 11 and 13	Applicable in relation to paragraphs other than paragraphs 11 and 13
(A) cities with population exceeding 12 lakhs and urban agglomeration of Panaji and Marmugoa	8%	7%
(B) Cities with population of 5 lakhs and above, but not exceeding 12 State Capital with population not exceeding 12 lakhs and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair	9%	8%
(C) Other Centres . . .	11%	10%

Provided that : (a) for the performance years 1987, 1988 and 1989 relaxation of 1.5 per cent, 1.5 per cent and 1 per cent, respectively, shall be allowed in the Stipulated Limits of cost ratios specified in the Table.

(b) in respect of premium obtained directly by Development Officer without intervention of an agent, relaxation of 1 per cent in cost will be allowed for application of provisions of paragraphs 11 and 13."

3. After paragraph 7 of the said Scheme, the following paragraphs shall be inserted, namely :—"7A. Fixation of basic pay in the revised scales of pay :—

(1) The basic pay of every Development Officer who has been placed in the scale of pay under the new terms as on the 31st December, 1986 shall be fixed at a corresponding stage in the relevant revised scale of pay with effect from the 1st January, 1987 as specified in Schedule B.

(2) The basic pay of every Development Officer who has been placed under the scale of pay under the new terms on or after the 1st January, 1987 but before the publication of the Amendment Scheme, 1987 in the Official Gazette, shall be fixed at the corresponding stage in the relevant revised scale of pay as specified in the Schedule "B" with effect from the date of his placement in the scale of pay under new terms.

(3) Every Development Officer whose basic pay is fixed in the revised scale of pay in accordance with the sub-paragraph (1) or sub-paragraph (2), shall be paid for the period commencing from 1st day of January 1987 or the date of his placement in the scale under the new terms, whichever is later, the difference of gross emoluments, interim relief, and allowance for technical qualification (after deducting the Development Officer's compulsory contribution to the Provident Fund) between the revised terms and the new terms.

(4) The basic pay of every Development Officer who is on probation on the 1st day of January, 1987 and confirmed as Development Officer Grade I after publication of the Amendment Scheme, 1987 in the Official Gazette shall be fixed at the minimum of the scale of Development Officer Grade I from the date of his confirmation.

7B Equitable relief and its adjustment :—

(1) In respect of every Development Officer whose cost ratio was within the stipulated limits under the said Scheme for the years 1983, 1984 and 1985, basic pay shall be fixed as on the 1st January, 1984 or the date of placement in the scale under the new terms, whichever is later, as per Schedule B and shall be paid for the years 1984, 1985 and 1986 an equitable relief as provided in sub-paragraph (4).

(2) In respect of Development Officer whose cost ratio was within the stipulated limits under the said scheme for any two years out of the years 1983, 1984 and 1985, basic pay shall be fixed as on the 1st January, 1985 or the date of placement in the scale under the new terms, whichever is later, as per Schedule B and shall be paid for the years 1985 and 1986 an equitable relief as provided in sub-paragraph (4).

(3) In respect of Development Officer whose cost ratio was within the stipulated limits under the said scheme for any one year out of the years 1983, 1984 and 1985, basic pay shall be fixed as on 1st January, 1986 or the date of placement in the scale under the new terms, whichever is later, as per Schedule B and shall be paid for the year 1986 equitable relief as provided in sub-paragraph (4).

(4) The mode and manner of payment of equitable relief under this paragraph shall be as decided by the Chairman of the Corporation.

Provided that in case of Development Officers whose cost ratio exceeded stipulated limits in one or more years, viz. 1983, 1984, 1985 or 1986, the non-core allowance paid to such Development Officers in the respective following years shall be reduced as provided in sub-paragraph (2) of paragraph 11 of the said Scheme and fitment and payment of equitable relief, if any as provided in sub-paragraph (1), (2) or (3) shall be effected only after such reduction of non-core allowance, as may be necessary, is effected :

Provided, further that in case of Development Officers to whom no equitable relief is payable or where the equitable relief payable is less than the amount of reduction recovery shall be effected from the emoluments payable to the concerned Development Officer after the 1st January, 1987 in

the manner as may be decided by the Chairman of the Corporation.

Explanation.—For the purposes of this paragraph "equitable relief" means the difference between the aggregate of the gross emoluments, interim relief and provident fund under the new terms and the revised terms.

(4) The equitable relief granted to a Development Officer shall be added to his cost in the manner hereinafter provided and his cost ratio shall be accordingly computed:—

(a) 50 per cent of the eligible first year's equitable relief shall not be added to the cost.

(b) 50 per cent of the eligible first year's equitable relief plus 10 per cent of the eligible second year's equitable relief shall be added to the cost of performance year 1987.

(c) 65 per cent of the eligible second year's equitable relief shall be added to the cost of the performance year 1988.

(d) 25 per cent of the eligible second year's equitable relief and 40 per cent of the eligible third year's equitable relief shall be added to the cost of performance year 1989.

(e) 60 per cent of the eligible third year's equitable relief shall be added to the cost of the performance year 1990.

Explanation.—For the purpose of this sub-paragraph, "eligible years" shall mean the year 1984, 1985, or 1986 for which equitable relief is admissible and where equitable relief is paid for all the years 1984, 1985 and 1986, the eligible first, second and third years shall be 1984, 1985 and 1986 respectively. Where equitable relief is paid only for the years 1985 and 1986, the eligible first and second year shall be 1985 and 1986 respectively. Where equitable relief is paid only for one year viz., 1986 it shall be deemed to be the eligible first year.

7C. Payment of dues.—The Development Officers who have retired, died, resigned, promoted as class I officers or converted as clerical staff, on or after the 1st day of January, 1984 shall be paid up to the date of their retirement, death, resignation, promotion or conversion, as the case may be, the difference in emoluments, equitable relief and the difference in gratuity, if any, as per paragraphs 7A and 7B :

Provided that the payment of dues in emoluments and equitable relief shall be subject to recovery of excess non-core allowance, if any.

4. For paragraph 11 of the said Scheme the following paragraph shall be substituted namely:—

"11. Cost Control—

(1) Every Development Officer shall work with such cost as to maintain his cost ratio within the limits stipulated in sub-clause (c) of clause (17) of paragraph 3.

(2) If the cost ratio in respect of a Development Officer for a particular performance year exceeds the stipulated limits, the non-core allowance payable to him in the following performance year shall be reduced to the extent of the amount by which his cost ratio exceeded the stipulated limits.

(3) If in respect of a Development Officer, cost ratio is in excess of stipulated limit for second performance year in succession, he may be issued a letter of warning that in events of his cost ratio exceeding stipulated limits for third or subsequent performance years in succession, his non-core allowance shall continue to be reduced in the following years to the extent necessary to bring his cost ratio within stipulated limits and, if there are no non-core allowance to be reduced, he shall be liable to decrements in basic pay as indicated in the Table below sub-paragraph (4).

(4) If in respect of a Development Officer cost ratio is in excess of stipulated limit for the third or subsequent performance years in succession, the non-core allowance payable to him if any, in the following performance year shall be reduced to the extent of the amount by which his cost ratio exceeded the stipulated limits :

Provided that if no non-core allowance are payable to him or the amount of non-core allowance payable to him in the year following such third or subsequent successive performance years is less than the excess cost, decrements shall be effected to such Development Officer as per table below from the 1st January of the relevant appraisal year to provide him an opportunity to conform to the stipulated limits of cost.

TABLE

Reduction in Basic pay where cost ratio is in excess of stipulated limits in the Relevant Performance year

Sr. No.	Actual cost Ratio over stipulated limits	On 1st Occasion	On 2nd Successive occasion	On 3rd Successive occasion	On 4th Successive occasion	On 5th and subsequent Successive occasion(s)
		Number of Decrements to be effected from 1st January of Relevant Appraisal year.				
1.	By not more than 1%	1	1	1	1	1
2.	By margin exceeding 1% but not exceeding 3%	1	1	2	2	2
3.	By margin exceeding 3% but not exceeding 5%	2	2	3	3	4
4.	By margin exceeding 5%	2	3	3	4	4

NOTE I.—If a Development Officer is in the scale of Development Officer Grade I, and by reduction as provided above, his basic pay falls below the minimum of the scale, his basic pay shall be fixed at one stage below the maximum of the scale of Development Officer Grade II. If the said Development Officer continues to operate beyond stipulated cost limits, even after placement in the scale of Development Officer Grade II, the reduction in basic pay shall start in the scale of Development Officer Grade II, by the number of stages as applicable to the relevant successive occassion.

NOTE II.—If after such reduction the basic pay falls below the minimum of the scale of Development Officer Grade II, the basic pay of such Development Officer shall be fixed at the minimum of the scale of Development Officer Grade II.

(5) The Development Officer whose basic pay has been fixed at the minimum of the scale of Development Officer Grade II, after reduction under sub-paragraph (4), shall be provided an opportunity of one year to conform to the stipulated cost limits and will be issued a warning that his services shall be liable for termination if he still continues to exceed the stipulated cost limits.

(6) If the Development Officer continues to be beyond stipulated cost limits even after bringing down his basic pay to the minimum of the scale of Development Officer Grade II and providing him an opportunity of one year under sub-pargaraph (5), his services shall be terminated by an officer not below the rank of Assistant General Manager, after giving him a notice of 30 days :

Provided that services of no Development Officer shall be terminated unless he is given an opportunity to apeal to the appeals committee constituted for the purpose under sub-paragraph (7) within the period of 30 days from the date of serving a notice of termination and unless the said appeals committee considers the said appeal and confirms that the services of the concerned Development Officer are liable for termination:

Provided further that the services of the concerned Development Officer shall not be terminated, if the appeals committee after considering his appeal decides that certain relief should be provided to him.

(7) The appeals committee referred to in sub-paragraph (6) shall be constituted by the Chairman of the Corporation from time to time for providing relief to Development Officer liable for termination of services under this paragraph and the said Committee shall consider the appeals having regard to the relevant factors such as factual inaccuracies in computation of premium, cost and cost ratio or sickness, accident or such individual extenuating circumstances beyond the control of Development Officer adversely affecting the business procurement and provide such relief other than that provided in sub-paragraph (8), as may be considered necessary in each case.

(8) Any Development Officer whose services are liable to be terminated under this paragraph may, on his specific request, be appointed as clerical staff on such terms as may be decided by the Chairman of the Corporation if he is eligible and considered suitable and subject to the condition that—(i) he is at least 45 years of age but has not completed 55 years of age and has put in at least 15 years' service as Development Officer, or (ii) there are grounds of individual extenuating circumstances such as illness, injury or disablement.

(9) Where the non-core allowance of a Development Officer are reduced under sub-paragraph (2) or sub-paragaph (3) or decrements are effected under subparagraph (4) or his services are terminated under sub-paragraph (6), such reduction of non-core allowance or decrements or termination of services shall not be deemed to be a penalty."

5. In paragraph 12 of the said Scheme, (1) in sub-paragraph (1), clause (x) shall be omitted;

(2) after sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"(1A) The Chairman of the Corporation may, from time to time, and to vary or amend the types of business listed in sub-paragraph (1), having regard to the necessity of developing certain unexpected or under-developed types of insurance. The Chairman of the Corporation may also provide for a Scheme of special incentive for development of rural or any other specified classes of insurance, if deemed necessary and in the manner as may be decided by him."

6. For paragraph 13 of the said Scheme, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"13. Increments—A development officer whose cost ratio for the relevant performance year does not exceed the limits stipulated in sub-clause (c) of clause (17) of paragraph 3, shall earn increment in the relevant revised scale pay on the 1st day of January of the relevant appraisal year, provided that he has completed 12 months service in the scale in the month of January of the said appraisal year :

Provided that in case of development Officer whose cost ratio for the relevant performance year exceeds the stipulated limits, grant of increment may be considered on the basis of average cost ratio worked out on aggregate of the scheduled premium income and the aggregate cost for the relevant performance year and immediately preceding two performance year."

7. For paragraph 14 of the said Scheme, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"14. Cost based growth incentive.—A Development Officer whose cost ratio for a performance year does not exceed the limits of cost stipulated in sub-clause (c) of clause (17) of paragraph 3 and who has procured scheduled premium income of atleast Rs. 3,00,000 during the said performance year and has registered during the said performance year a minimum increase in scheduled premium income of Rs. 60,000 over that of previous performance year shall be paid with effect from Appraisal Year 1988, cost based growth incentive equal to an amount arrived at by multiplying the increase in scheduled premium income during the performance year over the scheduled premium income of the previous performance year by difference between stipulated cost ratio and the actual cost ratio of the said Development Officer :

Provided that the maximum difference between stipulated cost ratio and actual cost ratio to be taken for calculating the cost-based growth incentive shall not exceed 5 per cent :

Provided further that the amount of cost based growth incentive shall not exceed twelve months basic pay drawn by the concerned Development Officer during the relevant performance year."

8. For paragraph 15 of the said Scheme, the following paragraphs shall be substituted, namely :—

"15 Profit incentive.—A Development Officer whose cost ratio for the relevant performance year is within the limit stipulated in sub- clause (c) of clause (17) of paragraph 3 and whose scheduled premium income for the said performance year is not less than that of the previous performance year, shall be eligible to be considered for grant of profit incentive at the rates specified in the table below.

TABLE

Operating Surplus	Percentage of operating surplus to be granted as profit incentive
Below 20%	Nil
20% or more but less than 22.5%	1.25%
22.5% or more but less than 26%	2.5%
26% or more but less than 27%	3.5%
27% or more but less than 28%	4.5%
28% or more but less than 29%	5.5%
29% or more but less than 30%	6.5%
30% or more	7.5%

Provided that the profit incentive under this paragraph shall be payable to a Development Officer with effect from the Appraisal year 1988 and shall not exceed the annual basic pay drawn by him during the relevant performance year and this cost including the profit incentive and cost based growth incentive, if any, is within the limit stipulated in sub-clause (c) of clause (17) of paragraph 3.

9. For paragraph 16 of the said Scheme, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"16. Provident Fund.—Every Development Officer shall contribute to the Provident Fund at the rate of 8-1/3 per cent of his basic pay with an equal contribution by the Corporation or the Company, as the case may be."

10. In paragraph 17 of the said Scheme, after clause (b) of sub-paragraph (1), but before the proviso, the following clause shall be inserted, namely :—

"(bb) Notwithstanding anything contained in clause (a) relating to qualifying service for admissibility of gratuity and clause (b), gratuity shall be payable to every Development Staff who has been in continuous service of the Corporation or the Company, or both, for not less than fifteen years, for each completed year of service or part thereof in excess of six months, at the rate of one month's basic pay, subject to a maximum of 15 months for service upto 30 years and for service over 30 years an additional gratuity shall be payable at the rate of half a month's basic pay for each completed year of service or part thereof in excess of six months :

Provided that the amount of gratuity payable to a Development Staff shall be as determined above or as calculated under the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), whichever is more favourable to him.

Provided that Development Officer appointed after the date of commencement of the Amendment Scheme, 1987, shall, subject to the provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), be eligible for payment of gratuity only after he has completed atleast 15 years of continuous service unless termination of the concerned Development Officer is due to death or disablement.

11. In paragraph 19 of the said Scheme, sub-item (iii) of sub-clause (b) shall be substituted by the following, namely :—

"(iii) to prepare and issue cover notes, kutcha receipts, Certificates-cum-Policies and Certificates in such classes and in such manner as may be directed by the Corporation or Company from time to time, as also to maintain expiry registers, Agency records, work reports, and the like."

12. Paragraph 21 of the said Scheme shall be omitted.

13. In paragraph 22 of the said Scheme, for the words "the Corporation" the words "Chairman of the Corporation" shall be substituted.

14. In the said Scheme, after the Schedule, the following schedules shall be inserted, namely :—

"SCHEDULE A

(see paragraphs 3, 7A, 11, 13, 14, 15, 16 and 17)

I. Scale of Pay (Basic Pay) :

(1) Development Officer Grade-I
Rs. 720-60-1080-70-1500-80-2380

(2) Development Officer Grade-II
Rs. 550-30-730

II. Dearness Allowance.—The dearness allowance will be linked to All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers (Base 1960=100), and shall be payable only when the Average All India Consumer Price Index Number for Industrial Workers is above CPI 332, on the following lines, namely :—

(i) For the purpose of payment of D.A. one cycle would consist of 24 points rise or fall in CPI. Each cycle would consist of 2 stages, viz. 1st stage at 8 points rise and 2nd stage at 16 points rise.

(ii) Development Officers drawing basic pay upto Rs. 1600 per month will be eligible to get quarterly adjustment in D.A. at the first stage viz., for every rise or fall of 8 points above 332 in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index (1960=100);

(iii) For Development Officers drawing basic pay of more than Rs. 1600 per month the first adjustment will be at the 2nd stage only, viz., for every block of 16 points (when the quarterly index reaches the level of 348) and the subsequent adjustment will be for the next block of 8 points (when the Average Index reaches 356). The cycle of adjustment will be repeated thereafter ;

(iv) The rate of adjustment will be 2 per cent of the basic pay for every change of 8 points (subject to what is stated in (iii) above) in the quarterly average of the Index subject to ceiling of Rs. 31.60 ;

(v) Marginal adjustments wherever necessary shall be made to ensure that the amount of DA payable at a higher level is not less than the amount of dearness allowance payable at lower level.

(vi) For this purpose, quarter shall mean a period of three months ending on the last day of March, June, September or December.

(vii) The final index figures as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the index figures which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.

(viii) The revision of dearness allowance corresponding to the changes in the average index for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

Note.—For removal of doubt, it is clarified that the revision, if any, in dearness allowance will be effective from 1st day of February, May, August, and November in accordance with the average index for the quarters ending immediately preceding December, March, June and September respectively.

III. House Rent Allowance.—House Rent Allowance shall be payable to the Development Officers at the rate of 15 per cent of basic pay upto basic pay of Rs. 2000 and 10 per cent of excess over Rs. 2000 subject to a maximum of Rs. 325 per month. Provided that the Development Officers who are allotted accommodation by the Corporation or the Company shall not be entitled to any House Rent Allowance and they shall pay for the use of accommodation allotted to them an amount equivalent to 10 per cent of the basic pay or the licence fee, whichever is less.

City Compensatory Allowance.—(1) The City Compensatory Allowance shall be Payable at the following rates:—

Place of posting	Rate	Amount per month	
		Minimum Rs.	Maximum Rs.
(a) Cities with population exceeding 12 lakhs and urban agglomeration of Panaji and Marmugao	10% of Basic Pay	75/-	150/-
(b) Cities with population of 5 lakhs and above but not exceeding 12 lakhs, State Capitals with population not exceeding 12 lakhs and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair	6% of Basic Pay	50/-	100/-

Note.—For the purpose of this item, the population figures shall be those in the 1981 Census Report.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-item (1), any Development Officer in receipt of an amount of Rs. 20 per month as City Compensatory Allowance as on 31st December, 1986 and not becoming eligible for City Compensatory Allowance under Amendment Scheme, 1987, shall continue to receive the said amount so long as he is posted at the same centre.

V. Hill Station Allowance.—The scales of hill station allowance payable to Development Officers shall be as follows :—

(i) Posted at place stituated at a height of 1500 metres and over, above mean sea level	At the rate of 10% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 100/- per month.
(ii) Posted at places situated at a height of 100 meters and over, but less than 1500 meters, above mean sea level, at Mercara and at places which are specifically declared as "Hill Stations" by Central/State Governments for their employees.	At the rate of 8% of basic pay subject to a Maximum of Rs. 75/-per month.

VI. Allowance for Technical Qualifications.—A confirmed Development Officer who qualifies or has qualified in an examination mentioned below shall be paid with effect from the date of publication of the results of the examination or the date of confirmation or 1st January, 1987 whichever date is later, the allowance for technical qualifications mentioned below :—

Examination	Qualification allowance per month
Federation of Insurance Institutes or chartered Insurance Institute :	
(i) Licentiate	Rs. 40/-
(ii) Completion of Associateship	Rs. 80/-
(iii) Completion of Fellowship	Rs. 130/-
Institute of Actuaries, London	
(i) Any three subjects	Rs. 100/-
(ii) Any six subjects	Rs. 130/-
Institute of Chartered Accountants or Institute of Cost and Works Accountants :	
(i) Completion of Intermediate . . .	Rs. 80/-
(ii) Final Group A	Rs. 100/-
(iii) Final Group B	Rs. 130/-

Provided that not more than one qualification allowance shall be permissible.

The grant of allowance for technical qualifications shall not affect the seniority of the Development Officer concerned. Where the Development Officer has already been given an advance increment or any other recurring monetary benefit for having qualified in any of the said examinations, the amount of qualification allowance shall be suitably reduced or be not admissible depending on the quantum of benefit already received.

SCHEDULE B

(See Paragraphs 7A and 7B)

Chart of Corresponding stages for fixation of basic pay

Development Officer Grade I		Development Officer Grade II	
Existing Basic Pay Rs.	Revised Basic Pay Rs.	Existing Basic Pay Rs.	Revised Basic Pay Rs.
1	2	3	4
250	720	175	550
265	780	185	580
280	840	195	610
295	900	205	640
315	960	215	670
335	1020	225	700
355	1080	240	730
375	1150		
400	1220		
425	1290		
450	1360		
475	1430		
500	1500		
525	1580		
555	1660		
585	1740		
615	1820		
645	1900		
675	1980		
710	2060		
745	2140		
780	2220		
815	2300		
850	2380		

[F. No. 114(2)/Ins.IV/87]

A.K. PANDYA, Addl. Secy. (Insurance)

1601 GI—3

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987